

यह निरीक्षण आख्या कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (पित्थूवाला) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (पित्थूवाला) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के अवधि 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्रीमती हिना सलीम, वरि. लेखापरीक्षक, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक, श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 01.09.2016 से 14.09.2016 तक संपादित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मक: इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री ए.के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.05.14 से 28.05.14 तक श्री बी.डी. सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 04/2010 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :

1. श्री एस.एल. जुयाल	03.04.13 से 28.02.15
2. श्री एस.के. उपाध्याय	01.03.15 से 30.04.15
3. श्री डी.पी. पोखरियाल	01.05.15 से 31.01.16
4. श्री आर.के. रोहेला	01.02.16 से वर्तमान तक

2. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या		
	भाग-2 अ	भाग-2 ब	स्टैन
27/2010-11	—	1, 2, 3, 4, 5	—
61/2014-15	—	1	—

3. सतत् अनियमिततायें — शून्य

4 . अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) — वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की बैलेंस शीट

5. बजट :

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आवंटन		व्यय	
	स्थापना	गैर-स्थापना	स्थापना	गैर-स्थापना
2013-14	383.02	219.44	377.64	223.40*
2014-15	474.00	256.35	477.17	261.14*
2015-16	585.46	221.00	424.25	268.10*

*व्याधिक विगत वर्षों के अवशेष राशियों से वहन किया।

भाग-दो 'अ'

प्रस्तर 1 : निक्षेप कार्यों पर निर्धारित सीमा से अधिक दरों के प्रतिशत प्रभार भारित किए जाने के परिणामस्वरूप शासन पर ` 44.00 लाख की परिहार्य देयता।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-163/xxvii (7)/2008 दिनांक 22.05.2008 के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निक्षेप (Deposit) के रूप में किए जाने वाले कार्यों के लिए प्रतिशत प्रभारों (Centage Charges) के लिए पुनरीक्षित दरें निर्धारित की थी। जिसके अनुसार ` 1.00 करोड़ से लेकर ` 5.00 करोड़ तक की लागत के कार्यों हेतु प्रतिशत प्रभारों की दर 9 प्रतिशत निर्धारित की गई थी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, देहरादून (पित्थुवाला), देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच (09/2016) में पाया गया था कि इस शाखा द्वारा शासन की ओर निष्पादित किए जा रहे ` 12.95 करोड़ की लागत के पांच निक्षेप कार्यों हेतु 12.5 प्रतिशत की दर से कुल ` 153.13 लाख प्रतिशत प्रभारों के प्राक्कलन गठित कर वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त की थी (संलग्नक-‘क’ के अनुसार) प्राप्त की थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा में पाया गया था कि संस्थान की इस शाखा द्वारा इन निक्षेप कार्यों पर 3.5 प्रतिशत की दर से ` 44.00 लाख के अधिक प्रतिशत प्रभार भारित किए गये थे, जो उपरोक्त वर्णित शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार अनियमित थे। यह भी की प्राक्कलनों की स्वीकृतियों के समय प्रतिशत प्रभारों की इन त्रुटियों को न तो संस्थान के उच्चाधिकारियों द्वारा सुधारा गया और न ही उक्त का संज्ञान शासन के प्रशासकीय विभाग

(पेयजल विभाग) द्वारा लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप शासन पर 44.00 लाख की अतिरिक्त वित्तीय देयता बनी, जो परिहार्य थी।

प्रकरण को लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर शाखा कार्यालय द्वारा 9 प्रतिशत के प्रतिशत प्रभारों के प्रावधानों पर अनविज्ञता जताते हुए मामले को जल संस्थान मुख्यालय के संज्ञान में लाये जाने का आश्वासन दिया था।

अतः संवर्धित निक्षेप कार्यों पर निर्धारित सीमा से अधिक दरों के प्रतिशत प्रभार भारित किए जाने के परिणामस्वरूप शासन पर बनी 44.00 लाख की परिहार्य वित्तीय देयता का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक-‘क’

क्र.सं.	शासनादेश संख्या/दिनांक	कार्य का नाम	धनराशियां (लाख ` में)		
			कार्यों की मूल लागत	प्रतिशत प्रभार	कुल स्वीकृति
1	1149 22.03.2013	Laying of Pipelines from ITI Niranjanpur/OHT to Lohiya Nagar & its surrounding area	125.58	10.91	136.49
2	1113 06.01.2014	Strengthening of Ajabpur-Mohorowala-Daurwala Water Supply Scheme	338.32 +OC=20.16	42.29	400.77
3	564 12.06.2014	Improvement of Mohkampur Water Supply scheme	105.97 +OC=01.11	13.25	120.33
4	544 31.03.2015	Kargi Ward No.-42, Source Augmentation Water Supply Scheme	300.89 +OC=19.04	37.61	357.54
5	545 30.03.2015	Reorganization of Banjarawala Water Supply Scheme	424.67	53.07	477.74
Total			1295.43 +OC=40.31	157.13	1492.87

Excess Loading of Centage= ` 157.13÷ 12.5X3.5= ` 43.996 lakh
` 44.00 lakh

भाग—दो 'ब'

प्रस्तर 1 : ब्याज की धनराशियों को शासकीय खाते में जमा न करना ` 18.49 लाख।

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के स्तर से जारी शासनादेश संख्या 99/2009 (09/2009) के प्रावधानों के अनुसार राज्य की समेकित निधि से आहरित ऐसी धनराशियों जिन्हे किन्ही विशिष्ट कारणों से बैंकों में सावधिक जमा/बचत खातों के रूप में रखा गया हो, पर अर्जित ब्याज की धनराशियों को राजकोष में लेखाशीर्षक 0049 ब्याज प्राप्तियों—04 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की ब्याज प्राप्तियों, 800—अन्य प्राप्तियां, 12—अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान (पित्थूवाला), देहरादून के वर्ष 2013—14 एवं 2015—16 की लेखा अभिलेखों की बैंक पास बुक एवं ब्याज से सम्बन्धित लेजर की नमूना जांच में पाया गया कि विभिन्न जिला/राज्य योजना से प्राप्त निक्षेप की धनराशियों पर प्राप्त ब्याज की धनराशि ` 18.49 लाख को बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या 12795 में रखी गयी है। जबकि नियमानुसार इस धनराशि को शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिए था।

अतः उपरोक्त विवरण स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा विभिन्न जिला/राज्य योजनाओं के बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज धनराशियों को शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार यथाशीघ्र राजकोष में जमा नहीं करवाया जा रहा है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया था कि ब्याज की धनराशि यथाशीघ्र मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दी जायेगी। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः ब्याज की धनराशियों ` 18.49 लाख को शासकीय खाते में जमा न करने का यह प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग—दो 'ब'

प्रस्तर 2 : शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों/आवासों से जल मूल्य, सीवर चार्ज की वसूली ` 96.82 लाख लम्बित रहना।

उत्तराखण्ड संस्थान पेयजल विभाग नोटिफिकेशन संख्या 1265/उन्तीस (1)/2010—(03 अधि.)/11—दिनांक 28.02.2011 (उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975) के अनुसार प्रत्येक बीजक को भुगतान देय तिथि तक किया जाना आवश्यक होता है। यदि उपभोक्ता द्वारा बीजक प्राप्त होने के 15 दिन तक भुगतान नहीं किया जाता है तो विच्छेदन की कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (पित्थूवाला), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के सम्प्रेक्षा अवधि (08/2016) तक के वसूली सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों/भवनों से जलमूल्य, सीवर चार्ज ` 96.82 लाख वसूली लम्बित पड़ी है। जबकि देयक उपभोक्ताओं को प्रस्तुत किये 04 माह से लेकर 36 वर्ष से ज्यादा का समय

व्यतीत हो चुका है। नियमानुसार कार्यालय द्वारा या तो विच्छेदन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी या सम्बन्धित विभागों/आवासों से वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। परन्तु कार्यालय स्तर पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिसके फलस्वरूप ` 96.82 लाख राजस्व वसूली हेतु लम्बित पड़ी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि समय-02 पर नोटिस जारी किये जाते हैं, आर.सी. हेतु प्रयास किये जायेंगे। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि बीजक की धनराशि विगत 04 माह से 06 वर्ष से ज्यादा का समय से भी पुरानी है। नियमानुसार ऐसे प्रकरण में विभाग द्वारा विच्छेदन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी जिसका अनुपालन विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

अतः शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों/आवासों से जल मूल्य, सीवर चार्ज की वसूली ` 96.82 लाख लम्बित रहने का यह प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (पित्थूवाला) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र